न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

देवू झा

वनाम

उपेन्द्र झा

वाद संख्या–17 / 2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा रोहार, टोले नबटोल थाना वो अंचल बिरौल जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	मॉग	चौहद्दी
781	4530	08 डि0	06 डि0	उ0–मसो0 महेन्द्र झा
				द0–खरंजा सड़क
				पु0–सड़क बीच
				प0–उपेन्द्र झा
खाता	**खेसरा**	**रकवा**	**मॉग**	**चौहद्दी**
92	2477	50 डि0	31 डि0	उ0–अरविन्द कुवॅर
				द0–नारायण मंडल
				पु0–जुगेश्वर झा
				प0–कामेश्वर मंडल
खाता	**खेसरा**	**रकवा**	**मॉग**	**चौहद्दी**
	2478	39 डि0	39 डि0	उ0–कृष्ण देव झा
				द0–जुगेश्वर झा
				पु0–बहादुर कुवॅर
				प0–विश्वनारायण सिंह

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि मद नं0 1 के तहत वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य की पैतृक सम्पत्ति है जो साविक खतियान में उनके पुर्वज के नाम से रैयती भूमि के दर्ज है परिवारीक वंश वृक्ष अन्त में दिया गया है। उभय पक्ष के दुखिया झा के दो पुत्र कमशः हॅसदत झा वो हितलाल झा हुए। हितलाल झा को एक पुत्र जुगेश्वर झा हुए एंव जुगेश्वर झा को तीन पुत्र कमशः 1 देवु झा 2 उपेन्द्र झा 3 महेन्द्र झा, अपने पिछे तीन पुत्र कमशः रमेश झा, बाबु कृष्ण झा, एंव श्रवण झा को छोड़कर स्वर्गारोहन किये वो फिर हॅसदत झा के पुत्र तीन पुत्र प्रेम झा, दरवारी झा जदु झा नावल्द मर गये। जदु झा निःसन्तान थे अपने हिस्से से मद नं0 1 की भूमि खेसरा 4530 रकवा 8 डि0 में 2 डि0 श्री श्री 108 राम जानकी मंदिर को दिया जिसमें मंदिर निर्मित किया गया वो वर्तमान है, एवं शेष 6 डि0 में से 2 डि0 प्रत्येक जुगेश्वर झा के तीन पुत्र कमशः देवु झा, उपेन्द्र झा एवं महेन्द्र झा को अवास के लिए दिया। फिर इसी प्रकार मद नं0 1 की भूमि खेसरा नं0 2477 रकवा 50 डि0 एवं 2478 रकवा 39 डि0 से समेकित रकवा 70 डि0 भूमि श्री श्री 108 राम जानकी के नित्य संधारण वो संधारण के लिए दिया गया जिसकी आय से उनकी पूजा अर्चना राज भोग इत्यादि होता है एवं शेष 19 डि0 खेसरा 2477 उक्त तीनो भाईयों को बराबर के हिस्सा में दिया गया। मद नं0 1 में वर्णित दोनो खेसराओं का सर्वे इन्द्राज खेसरा 4530 का सम्पुर्ण 8 डि0 एवं खेसरा 2477 एवं 2478 का सम्पुर्ण 89 डि0 यानि 50 डि0 वो 39 डि0 श्री श्री 108 रामजानकी मंदिर के खाते में ही दर्ज किया गया है जिसका स्व0 जदू झा के व्यवस्था के अनुसार संशोधित करना वांछनीय है। उक्त भूमि जूगेश्वर झा के नाम जमाबंदी संख्या 567 तहत एकजाई लगान रसीद निर्गत होती है। हाल दिनो से सभी फरीकैन को छोड़कर मात्र विपक्षी संख्या 1 के द्वारा श्री श्री 108 रामजानकी को दिये गये मद नं0 1 की एराजी पर अनाधिकृत दावा कर अवैध दखल कब्जा करने का तकरार किया जाता है जिससे विपक्षी संख्या 2 श्री श्री 108 रामजानकी की हित विक्षुब्ध होता है एवं अन्य हिस्सेदार सहित वादी से झगड़ा होता है।

वहीं दुसरी ओर विपक्षीगण का कहना है कि प्रस्तुत वाद ननज्वाईन्डर ऑफ दी पार्टिज एवं मिस ज्वाईन्डर ऑफ दी पार्टीज के रोग से ग्रसित है वाद मे सक्षम पक्षकार का अभाव है क्योकि स्व0 महेन्द्र झा की पत्नी जीवित है जिन्हे पक्षकार नही बनया गया है जबकि देबु झा वादी है जो स्वयं प्रतिवादी भी बन गये है और श्री श्री 108 राम जानकी को भी बेवजह पक्षकार बना दिये है इस प्रकार वादी देवु झा स्वयं अपनी हैसियत निर्धारण कर पाने में असफल है कि वे वादी के रूप में पक्षकार है या प्रतिवादी के रूप में। फलतः पहले वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। वाद की विषय वस्तु से संबंधित भूमि का दिया गया खाता खेसरा नया सर्वे के अनुसार दिया गया है या पुराना सर्वे के अनुसार यह स्पष्ट नही किया गया है साथ ही वाद पत्र में दिये गये भूमि विवरणी एवं श्रीमान के न्यायालय से निर्गत नोटिस में भी भिन्नता है। वाद पत्र के विवरणी में दिये गये खाता नं0 92 का खेसरा नं0 2477 और 2478 से

प्रतिवादी सं0 1 को कोई मतलब वो सरोकार नही है फलतः अगर यह हाल सर्वे खाता नं0 592 का खेसरा नं0 2477 और हाल खाता नं0 781 का खेसरा नं0 2478 है तो प्रतिवादी सं0 1 को मतलब वो सरोकार है तथा इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हित निहित है और ये अपना पक्ष वो दावा प्रस्तुत करते है साथ ही अगर 592 का खेसरा 2477 है तो भी उसका चौहद्दी वर्तमान में गलत है। स्व0 युद झा भगवान का परम भक्त वो आभाषी पुरूष थे जिससे खुश होकर स्वेच्छा से चढ़ावा के रूप में कुछ लोग उन्हे जमीन जायदाद अर्पित किये जिस कम में गणेश मिश्र पिता गेना मिश्र से मौजा रोहाड़ के तहत तीसा बॉध में 3 कट्ठा और बकरार बॉध में 7 कट्ठा यानि कुल 10 कट्ठा भूमि महाबीर पंडित से 5 कट्ठा भूमि सोमन सिंह से 5 कट्ठा तथा अन्य लोगो से भी 3 कट्ठा भूमि यानि कु0 1 बीघा 3 कट्ठा भूमि अपनी पैतृक सम्पत्ति के अलावे ठाकुरवारी की देख रेख वो उसमें स्थापित भगवान श्रीराम जानकी की पुजा पाठ वो भोग प्रसाद हेतु अर्जित हुई। हाल सर्वे के दौरान उपरोक्त 1 बीघा 3 कट्ठा भूमि सहित 8 डि0 धारी की भूमि एवं 1 बीघा जोत कृषि योग्य परिवारिक एवं पैतृक भूमि का हाल खतियान खाता नं0 781 के तहत कुल 2 एकड़ 6 डि0 भूमि का हाल खतियान गलत वो निराधार रूप से सर्वे अमलाओं को अपने अनुचित प्रभाव में लेकर तथा गुप्त रूप से अपने को श्री श्री 108 राम जानकी का सेवैत के रूप में अपने को घोषित करते हुए वादी अपने नाम से हाल खतियान दर्ज करा लिए है जो वादी के वेईमानी एवं भूमि हड़पने की नियती से परिचायक है हाल खाता नं0 592 जगेश्वर झा के नाम से बना है। जिसके तहत कुल 11 खेसरा से 2 एकड़ 77 डि0 है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 वो 2, 3, 4 तथा वादी 1/3 भाग अंश समान है। यह खतियान वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 2, 3, वो 4 के दादा के नाम से दर्ज है इसी अनुरूप हाल खाता 592 भी देवु झा वो उपेन्द्र झा पिता स्व0 युगेश्वर झा 2 अंश समान वो रमेश झा वो बाल कृष्ण झा वो श्रवण झा 1 अंश समान के रूप में दर्ज होना आवश्यक वो न्यायोचित था जो नही हुआ है। फलतः प्रार्थी सं0 1 हाल खतियान की प्रविष्टी मे अपेक्षित सुधार वो संशोधन करने हेतु निवेदन करते है। हाल खाता 781 कुल रकवा 2 एकड़ 6 डि0 है जो श्री श्री 108 राम जानकी सेबैत देवु झा चेला यदु दास जाति बैरागी निवासी निज ग्राम के रूप में दर्ज है जिसके तहत कुल 7 रकवा है इसमें से एक खेसरा 4530 का किस्म मंदिर के रूप में दर्ज है इसी 8 डि0 भूमि में दादा एवं खपरैल सिकमी मकान है प्रतिवादी सं0 1 लिलटर तक पिलर देकर उपर खपड़ा देकर मकान बनाये हुए है और इसी रकवा के अन्दर संयुक्त परिवारिक ठाकुरवारी के रूप में ईट एवं भीत का खपरेल घर है जिसमें भगवान स्थापित है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध करये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति होने का दावा करते है। जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही वंश के है एवं दोनो पक्ष अपने अपने हिस्सा से जमीन पर दखल काबिज है। वादी का कहना है कि जदु झा प्रश्नगत भूमि के खेसरा 4530 में से 2 डि0 श्री श्री राम जानकी मंदिर को दे दिये। वादी द्वारा और भी भूमि मंदिर को दिये जाने की बात की गई है। परंतु

मंदिर को दान संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि वादी एवं प्रतिवादी आपसी पारिवारिक सहमति वो समायोजन से बॅटवारा कर अपने अपने व्यक्तिगत हक वो हिस्सो पर अलग अलग एवं स्वतंत्र रूप से कायम होकर उसका उपयोग वो उपभोग करते आ रहे है। जबकि किसी भी पक्ष द्वारा बॅटवारानामा प्रस्तुत नही किया गया है जो बॅटवारानामा प्रस्तुत किया गया है उनमें कहीं भी प्रश्नगत भूमि के नया खेसरा का जिक नही है। वादी द्वारा वाद भी दायर किया गया है जबकि प्रतिवादी में भी वादी का नाम दर्ज होने के कारण यह वाद को और भी अस्पष्ट बनाता है। संलग्न की गई चार पीढ़ीयो की वंशावली एवं अपने अपने हिस्से की जमीन से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नही कराने के कारण न तो हाल खतियान में सुधार किया जा सकता है और न ही किसी के अधिकार का प्रख्यापन किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार इस वाद में हिस्सा, बटवारा एवं जटिल स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। इस प्रकार बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होगें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल